



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-1603/CG/179/2024-RO-RPR (RU-I)

दिनांक: 11.06.2025

श्री मनोज कुमार पिगुआ,
अपर मुख्य सचिव,
गृह एवं जेल विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015

श्री रजत कुमार,
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015

सुश्री रेना जमीत,
सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नॉर्थ ब्लॉक, रोक्टर-19,
नया रायपुर, अटल नगर,
रायपुर-492002, छत्तीसगढ़

श्री अरूण देव गौतम,
पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय रायपुर,
रायपुर-492001
छत्तीसगढ़
ई-मेल: dgp.chhattisgarh@yahoo.co.in

विषय: अभ्यावेदक श्री सुरेश कुमार (हल्वा) पिता - श्री शिवलोचन चौरका, ग्राम व पोस्ट - चिपरा तह. - डौण्डी, जिला - बालोद (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "सुबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2024 में अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों की न्युनतम शारीरिक आहर्ता में शिथिलता प्रदान कराने" के संबंध में।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 05.11.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) द्वारा दिनांक 17.06.2025 को आहूत की गई सिटिंग/सुनवाई अपरिहार्य कारणों से दिनांक 23.06.2025 को पुनर्निर्धारित (Rescheduled) कर दी गई है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 23.06.2025 को पूर्व निर्धारित (दिनांक 17.06.2025 को सुनिश्चित) समय पर होने वाली सिटिंग/सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय में 6 वां तल, न्यायालय कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली पर मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

SJ6 10115-10119

दिनांक 12-6-2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सुरेश कुमार (हल्वा),
पिता - श्री शिवलोचन चौरका
ग्राम व पोस्ट चिपरा, तह. - डौण्डी,
जिला - बालोद (छ.ग.) 491228
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(एच. आर. मीनो)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-20819839